उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन,14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 38–विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2015–68विनियम / 15   दिनांक 28 अप्रैल , 2016

विषय :– तकनीशियन (ग्रेड–2) (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा प्रणाली में संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिऐशन" मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न 123वीं बैठक मे मद संख्या–123(15) पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन मे, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली–1995 में तकनीशियन ग्रेड–2 (विद्युत) के लिये कार्यालय ज्ञाप सं0–72–विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2015–68 विनियम / 15 दिनांकः 08 अक्टूबर, 2015 द्वारा सीधी भर्ती हेतु निर्धारित की गई शैक्षिक अर्हता एवं सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा प्रक्रिया को एतद्द्वारा, निम्नानुसार संशोधित / परिवर्तित किया जाता है :–

1. **शैक्षिक अर्हता**

वर्तमान शैक्षिक अर्हता	संशोधित शैक्षिक अर्हता
(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक तथा इलेक्ट्रीशियन/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण) ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र।	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक तथा इलेक्ट्रीशियन/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण) ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण–पत्र।
(2) "DOEACC" (वर्तमान में NIELIT) द्वारा निर्गत "CCC"/"O" लेवेल/ "A" लेवेल/"B" लेवेल अथवा "C" लेवेल प्रमाण–पत्र।	(2) –विलुप्त–

2. **लिखित परीक्षा** – तकनीशियन (ग्रेड–2) के रिक्त पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(क्रमशः......2)

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नही किया जायेगा।

द्वितीय भाग :

(1) विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु द्वितीय भाग की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगा :-

(i) समान्य हिन्दी

(ii) सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान

(iii) तकनीकी विषयक ज्ञान

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न-पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेगें।

3. उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली-1995 (अद्यतन संशोधित) एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-72-विनियम/काविनी-29/पाकालि/2015-68 विनियम/15 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 में यथा वर्णित शैक्षिक अर्हता के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

4. आदेश सं0-72-विनियम/काविनी-29/पाकालि/2015-68 विनियम/15 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 में तकनीशियन ग्रेड-2 के पद से अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया के प्राविधान एवं अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगें।

5. उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी माने जायेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 38-(1) विनियम/काविनी-29/पाकालि/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, बी-17 जे0 रोड, महानगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न 123वीं बैठक के मद सं0-123 (15)के सन्दर्भ में।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Gayatri Rastogi

(गायत्री रस्तोगी)

अनु सचिव (विनियम)